अध्याय

04

जाति, धर्म और लैंगिक मसले

परिचय

लोकतंत्र में सामाजिक और असमानताओं का जैसे लिंग, जाति एवं संप्रदाय का पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करेंगे तथा राजनीति में इसकी किस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है यह भी जानेंगे। यह सभी मुद्दे राजनीति की दिशा एवं दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथ ही साथ भारतीय जनमानस पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

लैंगिक असमानता क्या है?

लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से।

वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण अपमान और भेदभाव से पीड़ित होते है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।

लैंगिक असमानता के कारण

- **पुरुष प्रधान समाज।**

  स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान रही है। स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं हो सका हालांकि कुछ जनजाति समुदाय इसके अपवाद है।

- **देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली।**

  ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को घर के अंदर रहकर घरेलू कार्य करने होते हैं। ये कहीं ना कहीं श्रम के लैंगिक विभाजन को दर्शाती है, जिसमें स्त्रियों को घर के अंदर और पुरुषों को घर के बाहर कार्य के लिए निश्चित कर दिया गया है।

- **स्त्रियों में शिक्षा का अभाव।**

  स्त्रियों के अशिक्षित होने के कारण वे अंधविश्वास एवं मनगढ़ंत धार्मिक गाथाओं, झूठी बातों में दबी रहती है, जिससे उन्हें विकास के बहुत कम अवसर मिलते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।

© JCERT not to be republished

लैंगिक असमानता के क्षेत्र

- **सामाजिक क्षेत्र में असमानता**

सामाजिक जीवन में सर्वाधिक लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। यह मुख्य रूप से दो रूपों में विद्यमान है।

i. **अधीनस्थ सामाजिक प्रस्थिति:-**

सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखा गया है। अधिकांश स्त्रियों के निर्णय पुरुषों के अधीन होते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति पुरुषों द्वारा निर्धारित होती है।

ii. **शैक्षणिक असमानता:-**

माता-पिता द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर कम एवं लड़कों की शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाता है। अधिकांशत लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हतोत्साहित किया जाता है।

- **आर्थिक क्षेत्र में असमानता:-**

स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि स्त्रियों के द्वारा अर्जित आय पर पुरुष अपना अधिकार जमा लेते हैं।स्त्रियों को कुछ खास प्रकार के रोजगार में जाने से भी वर्जित किया गया है, यद्यपि कानूनी तौर पर स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिला है, व्यवहारिक तौर पर यह कम ही देखने को मिलती है।

- **राजनीतिक क्षेत्र में असमानता:-**

राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी नगण्य है। वह अपने मताधिकार का प्रयोग तो कर लेती है, लेकिन राजनीतिक पद हासिल करने में पिछड़ जाती है।

पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई है।

उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

असमानता दूर करने के प्रयास

- **शिक्षा का प्रसार**

विशाल भारतीय जनसमूह को शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही स्त्री और पुरुष के बीच के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है, इससे लोगों में जागरुकता आएगी और वह स्त्री के महत्व को समझेंगे।

- **जन जागरूकता लाना**

भारतीय समाज में आज भी जागरूकता की कमी है, जिसके कारण भेदभाव की भावना अभी तक कायम है, इसे जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता के माध्यम के रूप में मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, नुक्कड़ नाटक आदि का उपयोग किया जा सकता है, जिससे लोग घटते हुए लिंग अनुपात और इसके दुष्परिणाम आदि से परिचित हो सकेंगे एवं उनमें महिलाओं के प्रति जागरूकता आएगी।

- **बालिका शिक्षा का प्रसार**

बालिकाओं के शिक्षित होने से भी लिंग भेद को कम करने में मदद मिलती है क्योंकि

© JCERT not to be republished

शिक्षित बालिकाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। अर्थ उपार्जन करती है जिससे वह परिवार पर बोझ नहीं होती है। यह कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को कम करने का मार्ग प्रशस्त करती है पृथक शिक्षण संस्थानों एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी एक सराहनीय कदम होगा।

- **सामाजिक कुप्रथा पर रोक**

सामाजिक कुप्रथाएं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को प्रभावित करती है । जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध आदि प्रचलित हैं। जिसके कारण स्त्रियां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं, इन कुप्रथाओं पर रोक लगाकर लैंगिक विभेद को रोका जा सकता है। जैसे शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह पर रोक, संविधान के द्वारा बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, तीन तलाक कानून इन सब कानूनों द्वारा सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाकर महिलाओं को पुरुष के समकक्ष लाने का प्रयास किया गया है।

- **सुरक्षात्मक वातावरण**

जब बालिकाओं की आयु बढ़ती है तब उसके माता-पिता, अभिभावक उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन एवं अभिभावक को मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि अगर लड़कियां घर से बाहर स्कूल, कॉलेज या अपने कार्यस्थल पर जाती है, तो माता-पिता एवं अभिभावक चिंता मुक्त रहे। इस व्यवस्था से भी लिंग भेद को दूर करने में मदद मिलेगी।

- **संवैधानिक उपचार**

भारतीय संविधान में स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।

- **सरकारी योजनाएं**

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।

- **जेंडर बजटिंग**

किसी देश की बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा ।

संप्रदायवाद क्या है?

- दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति धार्मिक भाषा एवं संस्कृति के आधार पर असहिष्णुता का भाव रखना तथा अपने संप्रदाय के हितों को सर्वोपरि मानना।
- एक ऐसी विचारधारा या संकीर्ण मनोवृत्ति जिसमें विभिन्न संप्रदायों के हित आपस में टकराते हैं तथा एक दूसरे को अपने विकास में बाधा मानने लगते हैं।

© JCERT not to be republished

- दो या दो से अधिक संप्रदायों के बीच विकसित होने वाला तनाव संप्रदायिक तनाव कहलाता है।

- जब एक धर्म या संप्रदाय के लोग अपने आप को दूसरे धर्म या संप्रदाय से श्रेष्ठ मानने लगते हैं तथा उसे अपने विकास में बाधा मानते हैं।

- **स्मिथ के अनुसार** "सांप्रदायिकता वह व्यक्ति अथवा समूह जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक अलग राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है, जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और उसके विरोधी भी हो सकते हैं"।

© JCERT not to be republished

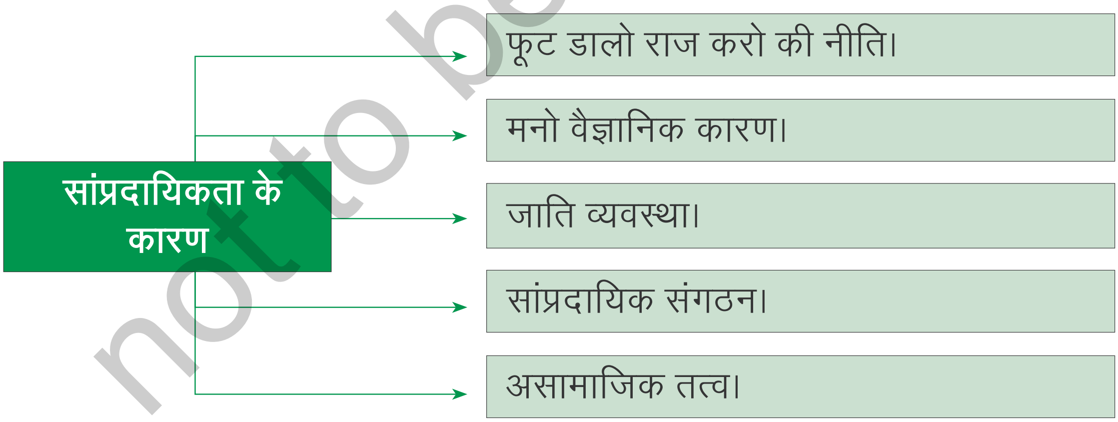

सांप्रदायिकता को समाप्त करने के उपाय

- सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध।
- उच्च शिक्षा की व्यवस्था।
- सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का उन्मूलन।
- मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार।
- राष्ट्रवादी आस्था वाली साहित्य का प्रचार-प्रसार।
- शिक्षा का प्रचार-प्रसार खासकर नैतिक शिक्षा एवं कानूनी शिक्षा का प्रचार।

सांप्रदायिकता वर्तमान समय में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, मानवता, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता इन तमाम बातों के लिए एक खतरे के रूप में उभर रहा है उन विराम जिसके परिणामस्वरूप हत्या, बलात्कार, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को गहरे रूप से प्रभावित कर रहा है। भारत के बुनियादी अवधारणा के लिए भी खतरा है ।

धर्मनिरपेक्ष शासन अर्थात् धर्मनिरपेक्षता

- धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है- राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगी।
- भारत के संविधान में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है।
- संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी विभेद को प्रतिषेध करती है।
- संविधान सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने और प्रचार-प्रसार की छूट देती है।
- धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से मुकाबला करने का एक मजबूत संवैधानिक आधार है।

© JCERT not to be republished

जाति और राजनीति

जाति क्या है?

- जाति एक ऐसे समूह का द्योतक है, जिसकी कुछ विशेष सामाजिक, आर्थिक विशेषताएं होती है।
- यह समाज में व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करती है, जिससे वह अन्य सामाजिक व्यक्तियों से परस्पर सक्रिय व्यवहार आदि स्थापित करती है।
- जगजीवन राम के शब्दों में "जाति भारतीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्यता है। एक सामान्य भारतीय अपना सब कुछ त्याग सकता है, परंतु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है।"

जाति और राजनीति में संबंध

- राजनीति में जाति के प्रभाव को जाति का राजनीतिकरण कहा जा सकता है।
- सभी राजनीतिक दल सैद्धांतिक रूप से जातिवाद का विरोध करते हैं,लेकिन व्यवहार में जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
- राजनीतिक दलों द्वारा अपने जीत या हार का आकलन जातीय समीकरण से ही निर्धारित करते हैं।
- मंत्रिमंडल के निर्माण करते समय भी जातीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
- जातियां सरकार के निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है । जैसे आरक्षण का मामला।
- राजनीतिक नेतृत्व का आधार जातिगत आधार तक ही सीमित हो गया है।

© JCERT not to be republished

भारतीय राजनीति में जाति

- स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
- उम्मीदवारों का चयन चुनाव क्षेत्र में जाति आधारित मतदाताओं पर निर्भर करती है।
- विभिन्न राजनीतिक दल जातिगत आरक्षण के माध्यम से भी अपने हितों को साधते हैं।
- मंत्रिमंडल में विभिन्न जातियों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
- चुनाव प्रचार में जाति बाहुल्य क्षेत्र में जाति विशेष के नेता को प्रचार हेतु भेजते हैं।

मूल्यांकन

- जब राजनीतिक दलों को यह लगता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तब वे जाति का कार्ड खेलते हैं, जिसके कारण राजनीति अपने वास्तविक उद्देश्यों से भटक जाती है और इसका एक मात्र उद्देश्य विभिन्न जातियों को संतुष्ट करना रह जाता है। इसके बाद यह जाति उनके लिए वोट बैंक बनकर रह जाती है।
- जाति व्यवस्था ने देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जाति भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
- रूडोल्फ के अनुसार "जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता में डालने का कार्य किया है।"

वर्ण व्यवस्था

- भारत में वैदिक काल से ही वर्ण विभाजन चला आ रहा है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जाति व्यवस्था जन्म आधारित है, जबकि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था।

JCERT © not to be republished

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में जातिवाद का भयावह स्वरूप देखने को मिल रहा है। जाति आधारित संस्थाएं, संघ, दल अपनी जाति को छोड़कर अन्य जातियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करती है।

- जातिवाद भारत में एक प्रकार से सामाजिक बुराई का रूप ले चुका है, जिससे प्रतिभावान लोग पिछड़ी जाति के होने के कारण सर्वत्र उपेक्षित रह जाते हैं।

- आज व्यक्ति का समाजिक दर्जा उसकी योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से निर्धारित होती है।

- भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया में जाति केंद्र में होती है । उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं कि पिछड़ी जातियां संविधान में दिए गए आरक्षण को बढ़ाना चाहती है जबकि सवर्ण जातियां सरकार पर दबाव डालती है कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए।

- **निष्कर्ष:-** भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था ने एक भयंकर महामारी का रूप ले लिया है, जो हमारे देश के ताने-बाने को और असंगठित कर राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक प्रमुख बाधा बन रहा है।

स्मरणीय तथ्य

- जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है।
- कई बार ऐसा देखा गया है कि संप्रदायिकता सबसे गंदा रूप ले लेती है।
- महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या 940 है।
- संप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर लेती है।
- भारत में चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
- गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है।

© JCERT not to be republished

प्रश्नावली

बहुवैकल्पिक प्रश्न

1. भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है-

   क. लोकसभा

   ख. विधानसभा

   ग. मंत्रिमंडल

   घ. पंचायती राज संस्थाएं

2. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है-

   क. अनुच्छेद 15

   ख. अनुच्छेद 16

   ग. अनुच्छेद 17

   घ. अनुच्छेद 18

3. भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है?

   क. पित्र प्रधान

   ख. मातृ प्रधान

   ग. मातृ और पितृ प्रधान

   घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है-

   क. स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर।

   ख. समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं।

   ग. बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात।

   घ. लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना।

© JCERT not to be republished

5. भारतीय संविधान के बारे में इनमे से कौन सा कथन गलत है?

क. यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है।

ख. यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है।

ग. सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है।

घ. किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार होता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं?
2. जातिवाद से आप क्या समझते हैं?
3. सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख दुष्परिणामों का वर्णन करें।
2. लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? इसके प्रमुख कारणों का वर्णन करें।

© JCERT not to be republished